स्पीड पोस्ट

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप–राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/99/2022-2023 **22 मार्च, 2023**

सेवा में,

श्री धनेश कुमार जिंदल
24 ए न्यू लक्ष्मी नगर,
तीन मंज़िला हाउसिंग वार्ड क्वार्टर
उज्जैन, मध्य प्रदेश-456010

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 28.02.2023 का पत्र जो इस सचिवालय में 04.03.2023 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 56एफ़ 644684 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक 29.12.2022 एवं 28.02.2023 का आवेदन इस सचिवालय मे प्राप्त नहीं हुआ है। जो कि आरटीआई के माध्यम से इस सचिवालय में प्राप्त हुए थे इसलिए उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करना आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आता है और इसलिए, दिए गए आरटीआई आवेदन को किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए यहीं निपटाया जा रहा है।

अतः आप को परामर्श है की आप इस विषय में सीधे संबधित राज्य /मंत्रालय / विभाग से संपर्क करें क्योंकि आपके आरटीआई आवेदन का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

RTI No. 99

Vice President's Secretariat
Dy.No. 268
Date 4/3/23
New Delhi

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन–पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम धनेश कुमार जिंदल
2. पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित् की जाना है 24 A न्यू लक्ष्मी नगर तीन मंजिला दशोरा रोड क्वार्टर- उज्जैन म०प्र० 456010
3. दूरभाष क्रमांक 7895478887
4. आवेदन देने का दिनांक 28-2-2023
5. कार्यालय का नाम उपराष्ट्रपति भवन भारत सरकार- नई दिल्ली
6. चाही गई जानकारी का विवरण महिला सुरक्षा संघ के ज्ञापन दि०-24/12/022 एवं 28/2/023 एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र दि० 24/12/022 एवं 28/2/023 के पत्रों पर पृथक पृथक कार्यवाही प्रोसेडिंग आदेशों की प्रमाणित प्रति
7. क्या चाहते हैं – नकल / निरीक्षण / रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना चारों आवेदन ज्ञापनों की लिखापढ़ी के सा.प्र. प्रति
8. आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रोसेस फी–रूपये 10/- नगद/स्टाम्प (बी.पी.एल.सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रं पोस्टल आर्डर 56F 644684 दिनांक 28-2-2023
9. क्या आवेदन गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं – हाँ/नहीं नहीं
   यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक —

नोट- चूंकि यह प्रकरण हमारे एवं हमारी पीड़ित परिवार के जीवन, स्वतन्त्रता, अखण्डता, रक्षा से सीधा जुड़ा है जिन कारणों एवं नियमों के अंतर्गत चाही गई जानकारी अविलम्ब प्रदान करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता) 28/2/023

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन पत्र पेश किया जाता है तो रूपये 10/- का नाम ज्युडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक ....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक ....
3. सम्बन्धित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी ....
   (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

10/3/23

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

नांक : ....

Vice President's Secretariat
Dy. No..........
Date..........
New Delhi

एन0 जी0 ओ0/N.G.O. (गैर सरकारी संगठन)

मज़लूम महिलाओं व शोषित आवाम तथा शोषित कामगार महिलाओं के संविधानिक हितों की प्राप्ति हेतु
कानूनी सलाहकार सजग प्रहरी स्वयंसेवी सामाजिक एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन

मा.श्री जे.पी.सिंह
राष्ट्रीय संयोजक

रानी खान
राष्ट्रीय वित्त सचिव एवं प्रदेशाध्यक्ष (म.प्र.)

प्रगतिशील महिला सुरक्षा संघ
PRAGATISHEEL MAHILA SURAKSHA SANGH

(रजि0)
(REGD.)

प्रधान कार्यालय :- सी 85, गली नं.2, जिन्दल हाउस, भजनपुरा, दिल्ली-53 दूरभाष : 9953799849
प्रदेश कार्यालय 14/4, नलिया बाखल, उज्जैन (म.प्र.) दूरभाष : 8871414997

क्रमांक : 2023/77 प्रति, माननीय - उपराष्ट्रपति महोदय जी
उपराष्ट्रपति भवन - नई दिल्ली - भारत

दिनांक : 28/2/023

त।

विषय :- सचानालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. पत्र क्र./4/शिका/ सेल-7/ एफ-28/ 2022/40 भोपाल दिनांक 05.01.2023 के संबंध में।

संदर्भ :- क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन के विस्तृत शासकीय जांच-पत्र क्रमांक/स्टेनो-शिका/2021/3630 उज्जैन दिनांक 02.09.21 के बाबत् अभ्यावेदन ज्ञापन दिनांक 29.12.2022 के संबंध में।

मान्यवर महोदय

माननीय महोदय उपरोक्त विष्यांतर्गत एवं संदर्भ में निवेदन है कि, प्रगतिशील महिला सुरक्षा संघ का ज्ञापन 29.12.2022 को दिया था जिसमें कोई ठोस कार्यवाही आज दिनांक तक लगभग 02 माह उपरांत भी हमारी मांगों को पूर्ण करने में संबंधित कोई ठोस कदम आपकी ओर से नहीं उठाया गया है ना ही कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी ओर से संघ को प्राप्त हुई है। प्रगतिशील महिला सुरक्षा संघ की न्यायोचित मांगों प्रर उचित कार्यवाही नहीं होने से समस्त-समाजसेवियों साथियों में रोष व्याप्त है।

अतः आपके इस अन्यायपूर्ण एवं उदासीन रवैय्ये को देखते हुए उग्र बडा आंदोलन ध रना प्रदर्शन, चक्काजाम, अनिश्चित कालीन करने के लिए विवश होंगे।जिसमें किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति निर्मित होने पर पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

संलग्न :-

1.दिनांक 29.12.2022 के ज्ञापन की प्रति
2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दि.29.12.22की छायाप्रति।
3.म.प्र. पत्र क्र./4/शिका/
सेल-7/ एफ-28/2022/40
भोपाल दिनांक 05.01.2023 की प्रति।
4.जांच पत्र क्रमांक/स्टेनो-शिका/
2021/3630 उज्जैन दिनांक 02.09.21

प्रेषक रानी खान 28/2/023
रानी खान
वरिष्ठ समाज सेवी प्रगतिशील
महिला सुरक्षा संघ,राष्ट्रीय वित्त
एवं प्रदेश अध्यक्ष म.प्र.।

माननीय-उपराष्ट्रपति महोदय जी
उपराष्ट्रपति भवन-नई दिल्ली
भारत

प्रति,

विषय :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 पत्र क्र/4/शिका/सेल–7/एफ– 28/2022 /40 भोपाल दिनांक 05/01/2023 के संबंध में।

संदर्भ :– क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन के विस्तृत शासकीय जांच पत्र क्रमांक/स्टेनो–शिका/2021/3630 उज्जैन दिनांक 02/09/2021 के बाबत अभ्यावेदन एवं ज्ञापन दिनांक 29/12/2022 के संबंध में।

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29/12/2022 को मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नि माया का भुगतान मुझ प्रार्थी पति को व शासकीय विस्तृत जांच मय अभिमतों पर कठोर विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही कर व वर्खास्त कर व प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश व दोषी अधिकारी/कर्मचारी डॉ. महावीर खण्डेलवाल पूर्व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन व श्रीमती प्रिती भवालकर सहायक ग्रेड–02, स्थापना प्रभारी एवं उपस्थापना प्रभारी श्री महेश कलमे सहायक ग्रेड–03 एवं श्री महेश शिवनानी, लेखापाल, लेखा शाखा व अन्य के विरूद्ध विस्तृत जांच शिकायत के संबंध में जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/सु.अ./सेल–1/एफ–1463, ए/2023/69 भोपाल दिनांक 12/01/2023 के माध्यम से उक्त शिकायत के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारीयों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का लेख किया है माननीय श्रीमान से निवेदन है कि उक्त पत्रों को लगभग दो माह का समयकाल हो रहा है। मान्यवर वर्तमान समय में विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है अथवा नही। इस संबंध में अध्ययन स्थिति से अवगत कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा कर मुझ प्रार्थी एवं मेरी पुत्री को अनुग्रहित करे, जिसके लिये मैं प्रार्थी व मेरी पुत्री सदैव आभारी ऋणी रहेगें।

दिनांक :– 28/2/023

प्रार्थी, [signature]

धनेश कुमार जिन्दल, निवासी 24–ए न्यू लक्ष्मीनगर, हाउसिंग बोर्ड, क्वॉर्टर तीन मंजिला, उज्जैन म0प्र0
मो.नं–7895478887

नोट :– उपरोक्त प्रकरण को तीन वर्ष का समयकाल हो चुका है जो कि उक्त प्रकरण जांच प्रचलन का बहाना बनाकर उक्त अधिकारीयों के द्वारा मुझे व मेरी पुत्री को न्याय से वंचित किया जा रहा है जिन कारणों से मेरा व मेरी पुत्री का मनोबल कमजोर होकर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। सूचित हो। 15 दिवस भीतर हमें पूर्ण सत्य न्याय निराकरण नही किया गया तो हम प्रार्थीगण को आत्महत्या जैसे कदम उठाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक/स्टेनो–शिका/2021/3630 ... दिनांक 2-9-21

प्रति,

अपर सचालक, शिकायत,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, म.प्र.।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
शिकायत 15 SEP 2021
आवक क्र. R-6368

विषयः–	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा मेरे साथ हुई धोखाधड़ी, छल, गहन, षडयंत्र एवं माननीय न्यायालय की अवमानना के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच प्रतिवेदन।
संदर्भः–	आपका प.त्र कमांक/4/शिका/सेल–7/2021/1494 दिनांक 03.11.2020 एवं पत्र कमांक/4/शिका /सेल–7 /2021/976, भोपाल, दिनांक 22.06.2021

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न श्री धनेश कुमार जिंदल द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु इस कार्यालय को भेजी जाकर प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशानुसार प्रकरण की जांच हेतु स्थानीय कार्यालय द्वारा जांच समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ. आर. सी. पनिका, संयुक्त संचालक, स्थानीय कार्यालय को जांच अधिकारी–01, श्री अभियंक चौधरी, लेखा अधिकारी, स्थानीय कार्यालय को जांच अधिकारी–02 तथा श्री दिनेश सोलंकी, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन को सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जांच समिति द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच कर, जांच प्रतिवेदन मय अभिमत, दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया गया जिससे सहमत होकर जांच प्रतिवेदन मय अभिमत, दस्तावेज मूलतः आपकी ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

1 जांच प्रतिवेदन/अभिमत पृष्ठ कमांक 01 से लगायत 16 तक।

2 लिखित अभिकथन एवं आवश्यक सहपत्र पृष्ठ क्रमांक 01 से लगायत 182 तक।

क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन

C-7 17/9/21

संयुक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
12/5/22

①

दिनांक 25/8/21

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
उज्जैन संभाग उज्जैन

3818
31/08/21

विषयः— मृतक शासकीय सेवक श्रीमती माया सिंगाडकर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घटिया के स्वत्वो के भुगतान के सम्बन्ध में पति श्री धनेश कुमार जिंदल द्वारा की गई शिकायत की जांच का प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण बाबत्।

सन्दर्भः— आपका पत्र क्रमांक/स्टेनो शिका./2021/2585/उज्जैन दिनांक 30.6.2021 एवं आदेश क्रमांक/स्टेनो शिका./2021/3306/उज्जैन दिनांक 09.8.2021

—000—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में मृतक शासकीय सेवक श्रीमती माया सिंगाडकर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घटिया के स्वत्वो के भुगतान के सम्बन्ध में पति श्री धनेश कुमार जिंदल द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु समिति गठित की गई जिसके क्रम में गठित समिति के समक्ष कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन एवं शिकायतकर्ता द्वारा जो अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए उसके आधार पर बिन्दुवार प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया जो आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— जांच प्रतिवेदन पृष्ठ क्रमांक--01 से लगायत 16 तक
लिखित अभिकथन एवं आवश्यक सहपत्र पृष्ठ क्रमांक—01 से लगायत 182 तक

25/8/21   25/8/21

(दिनेश सोलंकी)	(अभियंक चौधरी)	(डॉ.आर.सी.पनिका)
कनि.लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	संयुक्त संचालक
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन	कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ उज्जैन	कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ उज्जैन

26/8/21

12/08/22

संयुक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

शिकायत